खण्ड - III

आयोजना परिव्यय 2004-2005

इस भाग में विभिन्न परियोजनाओं, कार्यक्रमों और योजनाओं तथा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता हेतु 2004-2005 के केन्द्रीय आयोजना परिव्यय का ब्यौरा दिया गया है। वास्तविक लक्ष्यों, जहां कहीं भी दिए गए हों, के बाद दी गई टिप्पणियां संपूर्ण आयोजना परिव्यय के साथ जुड़ी हैं जिसमें बजटीय सहायता तथा आंतरिक और बजट बाह्य संसाधन (आं.ब.बा.सं.) दोनों शामिल हैं। विवरण 12 में आयोजना आवंटन मंत्रालय/विभाग-वार दिए गए हैं। विवरण 13 में विकास-क्षेत्रों और विभिन्न क्षेत्रों के तहत विकास-शीर्षों द्वारा आयोजना-परिव्यय दर्शाया गया है। विवरण 14 में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में आयोजना निवेश दर्शाया गया है। विवरण 15 में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के संसाधन दिए गए हैं। विवरण 16 में राज्य और संघ राज्य आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता दर्शाई गई है। विवरण 17 में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को आयोजना अनुदान और ऋण दिए गए हैं। विवरण 18 केन्द्रीय आयोजना में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता के राज्यवार ब्यौरों सहित व्यवस्था दर्शाता है।

2003–2004 के केन्द्रीय आयोजना परिव्यय की तुलना में 2004-2005 के आयोजना परिव्यय में की गई व्यवस्था इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए में)

	बजट अनुमान 2003-2004	संशोधित अनुमान 2003-2004	बजट अनुमान 2004-2005
केन्द्रीय आयोजना के लिए बजट समर्थन	72151.60	72846.75	87886.25
सरकारी उद्यमों के आन्तरिक और बजट बाह्य संसाधन	75741.01	68919.05	75834.04
केन्द्रीय आयोजना परिव्यय	**147892.61**	**141765.80**	**163720.29**
राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	**48822.40**	**48660.26**	**57704.00**

कृषि और संबद्ध गतिविधियां

फसल कार्य : कृषि जिंसों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यनीति विभिन्न विकास कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहन प्रदान करने पर बल देती है। आवंटन मुख्यतः तिलहन और दाल कार्यक्रम, फसलोन्मुखी कार्यक्रमों, पौध संरक्षण, शिक्षा और प्रशिक्षण, वर्षा सिंचित खेती, बीज और उर्वरक, कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी, फसल बीमा और भंडारण सुविधाओं सहित बागवानी कार्यकलापों के लिए किया गया है। "कार्य योजनाओं (कृषि में वृहत प्रबंधन) के माध्यम से राज्यों के प्रयासों के संपूरण/अनुपूरण" योजना के अधीन भी 719.94 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। फसल कार्य के अधीन कार्यक्रमों के लिए परिव्यय 2084.29 करोड़ रुपए है।

मृदा और जल संरक्षण : इस शीर्ष के अधीन परिव्यय अखिल भारतीय मृदा और भूमि प्रयोग सर्वेक्षण, राष्ट्रीय भूमि प्रयोग संरक्षण बोर्ड, झेलम, चेनाब, जम्मू और कश्मीर में शिवालिक के अवक्रमित जलग्रहण क्षेत्रों के पारिस्थितिकी पुनरुद्धार और झूम खेती (राज्य आयोजना) के लिए प्रदान किया गया है। मृदा और जल संरक्षण के अधीन इन कार्यक्रमों के लिए परिव्यय 33.31 करोड़ रुपए है, जिसमें से 20 करोड़ रुपए की राशि "झूम खेती (राज्य आयोजना)" के लिए है।

सहकारिता : प्रावधान मुख्यतः सहकारी शिक्षा/प्रशिक्षण, विकासात्मक कार्यकलापों के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से सहायता, भूमि विकास बैंकों को ऋण और अल्प विकसित राज्यों में सरकारी समितियों को सहायता के लिए है। इन कार्यक्रमों के लिए परिव्यय 127.67 करोड़ रुपए है।

अन्य कृषि कार्यक्रम : 155.52 करोड़ रुपए का परिव्यय कृषि विपणन योजनाओं यथा ग्रामीण गोदामों के निर्माण, ग्रेडिंग, विपणन अवसंरचना के विकास, विपणन अनुसंधान सर्वेक्षण और विपणन सूचना नेटवर्क आदि के लिए है।

पशु पालन : सामान्य तौर पर पशुपालन के विकास के तीन उद्देश्य हैं, अर्थात् प्रथम, बढ़ रही जनसंख्या के लिए पर्याप्त पशु प्रोटीन उपलब्ध कराना; द्वितीय, कृषि उत्पादन की वृद्धि को बनाए रखने के लिए पर्याप्त पशुशक्ति की आपूर्ति; तथा तृतीय पशु रोगों का नियंत्रण। वर्ष 2004-05 के लिए परिव्यय 258.38 करोड़ रुपए है।

डेयरी विकास : 43.62 करोड़ रुपए का परिव्यय मुख्यतया आपरेशन फ्लड के अंतर्गत नहीं आने वाले क्षेत्रों, पहाड़ी भूमि तथा पिछड़े क्षेत्रो में एकीकृत डेयरी विकास परियोजना; सहकारी सगंठनों को सहायता देने; गुणवत्तापूर्ण एवं स्वच्छ दुग्ध के लिए अवसंरचना के विकास के लिए है।

मत्स्य पालन : 178 करोड़ रुपए का परिव्यय मृदु जल एवं खारा जल मत्स्य पालन के प्रोत्साहित करने, मछली बंदरागाहों एवं लैंडिंग केन्द्रों के लिए सहायता प्रदान करने, तटवर्ती समुद्री मत्स्य पालन विकास तथा मछुआरों के कल्याण एवं मत्स्य पालन संस्थानों को सहायता प्रदान करने के लिए है।

वानिकी और वन्य जीवन : पर्यावरण और वन मंत्रालय का केंद्रीय आयोजना परिव्यय 1150 करोड़ रुपए है जिसमें से इस क्षेत्र में आवंटन 461.08 करोड़ रुपए है। 71 करोड़ रुपए वन संरक्षण, विकास एवं पुनरुत्पादन 122.25 करोड़ रुपए वन्य जीवन संरक्षण के लिए और 215 करोड़ रुपए वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास के लिए तथा 354.20 करोड़ रुपए राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के लिए आवंटित किए गए हैं।

खाद्य भंडारण और भंडागारण : इस क्षेत्रक के लिए आयोजना परिव्यय 113.53 करोड़ रुपए है।

कृषि अनुसंधान और शिक्षा : कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डीएआरई) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) को आवश्यक सरकारी संपर्क प्रदान करता है। इस क्षेत्र के लिए आयोजना परिव्यय 942.11 करोड़ रुपए है। इसमें से 686.50 करोड़ रुपए फसल कार्य, 95 करोड़ रुपए पशुपालन, 37 करोड़ रुपए मत्स्य पालन और 81 करोड़ रुपए मृदा और जल संरक्षण के लिए है।

ग्रामीण विकास

ग्रामीण विकास विभाग के लिए केंद्रीय आयोजना परिव्यय 11437.40 करोड़ रुपए है। केंद्रीय आयोजना परिव्यय के मुख्य संघटक ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार, आवास निर्माण और सड़कें तथा पुल हैं।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसआई) के लिए केंद्रीय आयोजना परिव्यय 1000 करोड़ रुपए है, जिसमें से 100 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए निर्धारित किए गए हैं ।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना दिनांक 1.4.1999 से अस्तित्व में आयी। इस परियोजना को एक ऐसे सम्पूर्ण कार्यक्रम के रूप में तैयार किया गया है ताकि यह ग्रामीण गरीबों के संगठन को स्व-सहायता समूहों में परिवर्तित करने जैसे स्व-रोजगार के सभी पहलुओं को तथा उनकी क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, सामूहिक गतिविधियों का नियोजन, ढांचागत विकास, बैंक ऋण हेतु वित्तीय सहायता तथा सब्सिडी और विपणन सहायता आदि को अपने में शामिल कर सके। अतीत के अनुभवों से भी यह बात सामने आई है कि यदि व्यक्तिगत आधार के बजाय समूह आधार पर प्रयास किए जाएं तो सफलता की दर ऊंची होती है। इसलिए यह कार्यक्रम स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहन देने पर जोर देता है। यह पहचान किए गए मुख्य कार्यकलापों में लघु उद्यमों के विकास में

सामूहिक दृष्टिकोण अपनाने पर भी जोर देता है। बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं कार्यक्रम के कार्यान्वयन में निकटता से शामिल तथा जुड़ी रहती हैं । निधियों का वहन केन्द्र तथा राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात में किया जाता है। इस योजना के लक्षित समूह में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे ग्रामीण गरीब परिवार शामिल हैं। लक्षित समूह के अन्तर्गत, योजना के मार्गनिर्देशों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 50 प्रतिशत, महिलाओं के लिए 40 प्रतिशत तथा विकलांगों हेतु 3 प्रतिशत की व्यवस्था की गई है।

ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम : ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम हेतु आयोजना परिव्यय 1974.60 करोड़ रुपए है।

एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम एक चालू केंद्र-प्रायोजित योजना है, जिसके अधीन सूक्ष्म-जलसंभर आधार पर बड़ी परियोजनाएं प्रारंभ की जाती हैं। इन परियोजनाओं का निधिपोषण केंद्र और राज्यों के बीच भागीदारी से होता है। ये प्रस्ताव साधारणतया गैर-सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम/गैर-मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) ब्लॉक में स्वीकृत किए जाते हैं।

सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम भूमि, जल और मानव संसाधनों के इष्टतम उपयोग की कार्यनीति पर आधारित दीर्घावधिक परिप्रेक्ष्य के साथ सूखे की समस्या से निपटने के लिए तैयार किया गया एक क्षेत्र विकास कार्यक्रम है। यह सूक्ष्म जलसंभर आधार पर कार्यान्वित की जा रही केंद्र-प्रायोजित योजना है। आवंटन की भागीदारी 75:25 के आधार पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच की जाती है। यह कार्यक्रम 16 राज्यों के 182 जिलों में 972 प्रखंडों में प्रचालनाधीन है।

डीडीपी का लक्ष्य दीर्घावधि में पारिस्थितिकी संतुलन बहाल करने और सिंचाई, वनरोपण, शुष्क भूमि कृषि आदि के माध्यम से उत्पादन, आय और रोजगार का स्तर बढ़ाने के लिए भी मरुभूमिकरण को नियंत्रित और भूमि, जल तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित, विकसित और उसका उपयोग करना है। यह सूक्ष्म जलसंभर आधार पर कार्यान्वित की जा रही एक केंद्र-प्रायोजित योजना भी है। आवंटन की भागीदारी 75:25 के आधार पर दिनांक 1.4.1999 के बाद स्वीकृत परियोजनाओं के मामले में केंद्र और राज्य के बीच की जाती है। यह कार्यक्रम 7 राज्यों के 40 जिलों में 235 प्रखंडों में प्रचालनाधीन है।

प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार और प्रशिक्षण योजना के अधीन उन परियोजनाओं, जो सरकारी भूमि में हैं, के लिए शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है और निजी भूमि पर परियोजनाओं के मामले में परियोजना की लागत की भागीदारी 60:40 के अनुपात में केंद्र और किसानों/निगमित निकाय के बीच की जाती है।

ग्रामीण रोजगार : संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) के लिए वर्ष 2004-2005 का कुल परिव्यय 5100 करोड़ रुपए (नकद संघटक के लिए 4500 करोड़ रुपए और खाद्यान्न संघटक के लिए 600 करोड़ रुपए) है। संपूर्ण रोजगार योजना रोजगार आश्वासन योजना (ईएएस) और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जेजीएसवाई) की चालू योजनाओं के विलय द्वारा दिनांक 25.9.2001 से प्रारंभ की गई थी। नए कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार तथा इन क्षेत्रों में टिकाऊ समुदाय, सामाजिक और आर्थिक परिसंपत्तियां और अवसंरचना विकास के साथ खाद्य सुरक्षा भी प्रदान करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, एसजीआरवाई आंशिक मजदूरी के रूप में कामगारों को प्रति मानव दिवस पांच किलोग्राम की दर पर खाद्यान्न के वितरण की संकल्पना करती है । जहां नकद संघटक की भागीदारी 75:25 के अनुपात में केंद्र और राज्यों को बीच की जाती है वहीं केंद्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी खाद्यान्नों की संपूर्ण लागत की पूर्ति करती है। यह कार्यक्रम दो चरणों में कार्यान्वित किया जाता है। प्रत्येक चरण कार्यक्रम के अधीन उपलब्ध कुल संसाधनों का पचास प्रतिशत प्राप्त करता है। पहला चरण जिला और मध्यस्थ पंचायत स्तर पर कार्यान्वित किया जाता है। कार्यक्रम के अधीन उपलब्ध निधियों का पचास प्रतिशत और खाद्यान्न जिला परिषद और मध्यस्थ पंचायत के बीच 40:60 के अनुपात में वितरित किया जाता है। दूसरा चरण ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वित किया जाता है। इस चरण के अधीन संपूर्ण आवंटन डीआरडीए/जिला परिषदों के माध्यम से ग्राम पंचायतों के बीच वितरित किया जाता है। यह कार्यक्रम पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। वर्ष 2004-05 से सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एक एकल योजना के रूप में कार्यान्वित की जाएगी। तथापि सभी तीन स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं अर्थात जिला पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत और ग्राम पंचायत के बीच आवंटन क्रमशः 20:30:50 के अनुपात में किया जाता रहेगा। इस प्रकार का कार्यक्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए दीर्घकालिक वचनबद्धता प्रदान करने की दिशा में पहला कदम है।

राज्य सरकारों द्वारा विधिवत अधिसूचना और कृषि मंत्रालय द्वारा उसकी स्वीकृति के बाद आपदा प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार के माध्यम से खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए एसजीआरवाई का एक विशेष संघटक भी है। एसजीआरवाई के अधीन आवंटित खाद्यान्नों की एक निश्चित प्रतिशतता इस प्रयोजन के लिए आरक्षित की जाती है। विशेष संघटक के अधीन खाद्यान्नों का उपयोग प्राकृतिक आपदा द्वारा प्रभावित और विधिवत अधिसूचित जिले में मजदूरी रोजगार के सृजन के लिए कार्यान्वित की जा रही केंद्र अथवा राज्य सरकार की किसी योजना में किया जा सकता है। मजदूरी का नकद संघटक और सामग्री की लागत की पूर्ति उस योजना, जिसके अधीन उप-संघटक का प्रयोग किया जाएगा, से की जाती है।

अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमः कुल आयोजना परिव्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर 365.20 करोड़ रुपए है, जिसमें डीआरडीए प्रशासन, प्रशिक्षण, एनआईआरडी, कापार्ट, आई.ई.सी., मानीटरिंग तंत्र तथा एक नई योजना "ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के लिए प्रावधान" (पूरा) के लिए प्रावधान शामिल है।

डीआरडीए प्रशासन की योजना का उद्देश्य डीआरडीए को सुदृढ़ करना और उन्हें अधिक व्यावसायिक तथा प्रभावी बनाना है। इसे एक ओर मंत्रालय के निर्धनता-रोधी कार्यक्रमों के प्रबंधन और दूसरी और जिले में निर्धनता उन्मूलन के समग्र प्रयासों से इन्हें प्रभावी रूप से संबद्ध करने में दक्ष विशिष्ट एजेंसी के रूप में देखा जाता है। इस योजना का निधिपोषण 75:25 के आधार पर प्रशासनिक लागतें पूरी करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

पंचायतीराज : पंचायतीराज मंत्रालय के लिए केन्द्रीय परिव्यय वर्ष 2004-05 में 30.60 करोड़ रुपए है जिसमें से 3.06 करोड़ रुपए उत्तरपूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए निर्धारित है। इस प्रावधान को पहले अन्तरिम बजट 2004-05 में ग्रामीण विकास विभाग के बजट अनुदान में दिखाया गया था। तथापि, दिनांक 27-5-2004 से नए पंचायतीराज मंत्रालय के सृजन के बाद से इस प्रावधान को ग्रामीण विकास विभाग से पंचायतीराज मंत्रालय के बजट अनुदान में अन्तरित कर दिया गया है।

पंचयातीराज मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण कार्य संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 का कार्यान्वयन तथा पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 के उपबंधों की मानीटरिंग से सम्बद्ध है और इस बात का सुनिश्चय करना है कि राज्य अधिनियमों को उक्त दो अधिनियमों के उपबंधों के अनुरूप तैयार किया गया है। पंचायत विकास तथा प्रशिक्षण की योजना में पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, अनुसंधान अध्ययनों का वित्त पोषण, कार्यशालाओं तथा संगोष्ठियों का संचालन, पंचायतीराज संस्थाओं को ढांचागत सहायता मुहैय्या कराना, पंचायतीराज संस्थाओं के बारे में सामान्य जागरूकता पैदा करना तथा सर्वोत्कृष्ट पंचायतों को पुरस्कार प्रदान करना शामिल है।

भूमि सुधार : भूमि सुधारों के लिए आयोजना परिव्यय 62 करोड़ रुपए है। भूमि सुधार के अधीन, राजस्व प्रशासन के सुदृढ़ीकरण और भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने (एसएलआर और यूएलए) की योजना के अधीन राज्यों को 50:50 के आधार पर और संघ राज्य क्षेत्रों को शत-प्रतिशत आधार पर सहायता प्रदान की जाती है। भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण (सीएलआर) की एक केंद्र-प्रायोजित योजना भी कार्यान्वयनाधीन है। यह एक शत-प्रतिशत सहायता अनुदान योजना है। एसएलआर और यूएलआर तथा सीएएलआर दोनों भूमि और राजस्व अभिलेखों का आधुनिकीकरण नामक एक नई योजना का भाग है। अभी तक देश में 582 जिलों को कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम के अधीन लाया गया है और योजना देश के 3114 तहसीलों/तालुका/मंडलों में चलाई गई है।

सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण

वृहत् और मध्यम सिंचाईः इस खण्ड के अधीन परिव्यय आंकड़ा संग्रहण, नदी घाटियों में अतिरिक्त मुख्य जलवैज्ञानिक स्टेशनों की स्थापना, वृहत् और मध्यम सिंचाई क्षेत्रक निर्मित करने के लिए अनुसंधान और अन्य कार्यकलाप हेतु है। 81.73 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय में मंत्रालय के अधीन विभिन्न संगठनों की आवश्यकताएं शामिल हैं।

कमान क्षेत्र विकास : वर्ष 1974-75 में प्रारम्भ किए गए बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी के एक कार्यक्रम कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 181.50 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

ऊर्जा

विद्युत : इस क्षेत्र के लिए 19112.94 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है जो कि मुख्य रूप से राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम (4755 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय पन बिजली विद्युत निगम (2187.79 करोड़ रुपए), उत्तर-पूर्वी बिजली विद्युत निगम (265 करोड़ रुपए), नाथपा-झाकरी विद्युत निगम (592 करोड़ रुपए), टिहरी पन बिजली विकास निगम (1248.76 करोड़ रुपए), भारतीय विद्युत ग्रिड निगम (3438 करोड़ रुपए) की स्कीमों/कार्यक्रमों के लिए है।

(i) **संबद्ध पारेषण लाइनों सहित तापीय और पन बिजली उत्पादनः** 4755 करोड़ रुपए का प्रावधान राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम, मुख्यतः तालचर, चरण II (2000 मेगावाट), रामागुण्डम-III (500 मेगावाट), रिहंद II (1000 मेगावाट), सीपत-I (1980 मेगावाट), कोलडैम 800 मेगावाट कहलगांव-II चरण (1000 मेगावाट), और बढ़ (1980 मेगावाट) के लिए किया गया है। दामोदर घाटी निगम के लिए आयोजना परिव्यय मेजिया यूनिट IV, V और VI (210 मेगावाट), चंद्रपुरा टीपीएस यूनिट (2x 210 मेगावाट), के लिए अभिप्रेत है। उसकी चालू तथा साथ ही नई परियोजनाओं यथा सेवा-II (120 मेगावाट), सुबनसिरी लोअर (2000 मेगावाट) धौलीगंगा-1 (280 मेगावाट), तीस्ता (510 मेगावाट), पार्वती-II (800 मेगावाट) के लिए बजटीय सहायता सहित 2187.79 करोड़ रुपए के आयोजना परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

भारतीय विद्युत ग्रिड निगम के लिए रिंहद-II पारेषण लाइन, ताला पारेषण लाइन, सीपत-I पारेषण लाइन, तालचर-II पारेषण लाइन, रामागुण्डम-III पारेषण लाइन आदि के कार्यान्वयन के लिए 3438 करोड़ रुपए का आयोजना परिव्यय प्रदान किया गया है।

अन्य प्रावधानों में उत्तर-पूर्वी विद्युत निगम के लिए 217 करोड़ रुपए, तुइबई, कामेंग एचईपी-II और त्रिपुरा गैस परियोजना के लिए 482 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं ताकि दसवीं आयोजना के परिव्यय में सहायता मिल सके। टिहरी पन विकास निगम को 314 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है ताकि 1248.76 करोड़ रुपए के आयोजना परिव्यय में सहायता मिल सके जो मूलतः कोटेश्वर परियोजानओं के कार्यान्वयन और टिहरी चरण-I को शेष राशि के भुगतान के लिए है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, नई एचईपी की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को 109 करोड़ रुपए की राशि और आरईसी के कुटीरज्योति कार्यक्रम के लिए 250 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एण्ड एसपी) के लिए ब्याज सब्सिडी योजनाओं के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य बिजली बोर्डों को विद्युत संयंत्रों और उत्पादन योजनाओं के अनुसंधान तथा प्रबन्ध के लिए 3 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी दी जाती है। ग्रामीण विद्युतीकरण में तेजी लाने के लिए, वर्ष 2002-03 में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू किया गया जिसके तहत दलित बस्तियों सहित बिजली रहित गाँवों के विद्युतीकरण के लिए आरईसी द्वारा मंजूर किए गए ऋणों पर राज्यों को 4 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दी जाती है। वर्ष 2012 तक सभी परिवारों को बिजली मुहैया कराने के लिए सरकार द्वारा की गई वचनबद्धता को देखते हुए, इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है।

नाभिकीय ऊर्जाः नाभिकीय ऊर्जा के लिए कुल परिव्यय 4168.62 करोड़ रुपए है। आयोजना परिव्यय में 2257.62 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता और आं.बा.ब.सं. के 1911 करोड़ रुपए शामिल हैं। कुल बजटीय सहायता में से न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एनपीसीआईएल) में इक्विटी में निवेश के लिए 1283 करोड़ रुपए का प्रावधान चालू विद्युत परियोजनाओं के लिए है और प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के निर्माण के लिए नवगठित भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लि. (भबानी) के लिए 253.30 करोड़ रुपए है। इस प्रावधान में कुडनकुलम में विदेशी सहायता प्राप्त उस परियोजना के लिए 700 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता भी शामिल है जो एनपीसीआईएल के लिए रूसी परिसंघ द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। भाभा परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की परियोजनाएं जैसे कि नाभिकीय संयंत्र के लिए अतिरिक्त उन्नयन सुविधा, पीआईई के लिए हॉट सेल सुविधाएं और उन्नत हैवी वॉटर रिएक्टर तथा प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के लिए अनुसंधान एवं विकास सहायता मुहैया कराने के लिए इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की परियोजना को भी बजटीय सहायता से वित्त पोषित किया जा रहा है।

पेट्रोलियमः पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों का अनुमोदित आयोजना परिव्यय 25000 करोड़ रुपए है। इसमें कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन (प्राकृतिक गैस की ढुलाई सहित) 18038.90 करोड़ रुपए, पेट्रोलियम उत्पादों के शोधन और विपणन के लिए 5536.90 करोड़ रुपए, पेट्रो-रसायनों के लिए 1406.20 करोड़ रुपए शामिल हैं। ओएनजीसी, गेल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, ओआईएल आदि द्वारा निवेश भी परिव्यय के मुख्य संघटक हैं। इस परिव्यय का वित्तपोषण संपूर्ण रूप से आंतरिक और बजट-बाह्य संसाधनों से किया जाएगा।

कोयला और लिग्नाइटः भारतीय अर्थव्यवस्था को ढांचागत समर्थन देने हेतु ऊर्जा क्षेत्र के महत्व को देखते हुए कोयला और लिग्नाइट क्षेत्र का आयोजना परिव्यय 3073.62 करोड़ रुपए रखा गया है। आयोजना परिव्यय की आंशिक पूर्ति 200.99 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता तथा 2872.63 करोड़ रुपए की आंशिक पूर्ति आईईबीआर द्वारा की जाएगी।

गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतः गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय का परिव्यय 1087.45 करोड़ रुपए है। इस परिव्यय में पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम हेतु 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है। इस आयोजना परिव्यय में नवीकरणीय माध्यम से न्यूनतम ग्रामीण ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने, विकेंद्रीकृत ऊर्जा आपूर्तियों तथा ग्रिड गुणवत्ता विद्युत निर्माण पर जोर दिया गया है, साथ ही इसमें नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में प्रशिक्षित जनशक्ति के सृजन हेतु मानव संसाधन विकास तथा प्रशिक्षणों पर जोर है। इसमें हाइड्रोजन ऊर्जा, जैव-ईंधनों, भूतल परिवहन के लिए वैकल्पिक ईंधन से सम्बद्ध अनुसंधान तथा विकास पर भी जोर दिया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के जरिए 525 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता संस्थापित की जानी है। 50,000 सौर गृह-प्रणालियां, 2000 स्ट्रीट लाइटें, 100 सौर जेनरेटर, 200 किलोवाट एसपीवी ऊर्जा संयंत्र (नॉन-ग्रिड) और 1 लाख बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाने हैं। 4250 सुदूर बिजली रहित गाँवों और सुदूर स्थानों को गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के जरिए बिजली पहुंचाई जानी है। परियोजना की लागत की 90% तक की अधिक वित्तीय सहायता ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

उद्योग एवं खनिज

लघु उद्योगः इस में लघु उद्योगों एवं राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के संवर्धन के लिये परिव्यय शामिल है। लघु उद्योग मंत्रालय हेतु परिव्यय 428 करोड़ रुपए है, जिसमें लघु उद्योग यूनिटों को संपार्श्विक निःशुल्क ऋण के लिये ऋण गारंटी प्रदान करने हेतु 176.29 करोड़ रुपए लघु उद्योग इकाइयों को संपार्श्विक मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु ऋण गारंटी प्रदान करने की व्यवस्था शामिल है। इसमें छोटे और ग्रामीण उद्योगों के संवर्धन के लिये परिव्यय भी शामिल है।

लौह एवं इस्पात उद्योगः इस्पात मंत्रालय के लिये आयोजना परिव्यय 1461.40 करोड़ रुपए का है, जिसका वित्तपोषण 15 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता एवं 1446.40 करोड़ रुपए के आंतरिक और बजट-बाह्य संसाधनों से किया जाएगा। कुल परिव्यय में से 650 करोड़ रुपए की धनराशि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) के लिये प्रदान की गई है। सेल के अंतर्गत स्कीमों एवं कार्यक्रमों के लिये प्रदत्त परिव्यय के विस्तृत विवरण इस प्रकार हैः- (1) भिलाई इस्पात संयंत्र के लिये 174 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रदान किया गया है। इसमें 80 करोड़ रुपए लम्बी दूरी रेल सुविधाओं, 45 करोड़ रुपए यूओई पाइप संयंत्र की संस्थापना के लिए तथा शेष धनराशि अन्य चालू परिवर्धन/परिवर्तन/प्रतिस्थापन स्कीमों और पूरी की गई स्कीमों के संविदा समापन के बकाया भुगतान के लिए शामिल है। (2) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के लिये 50 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रदान किया गया है, जिसमें 36 करोड़ रुपए सीओबीआई में दूसरी कोयला चार्जिंग कार को बदलने के लिए है। (3) राउरकेला इस्पात संयंत्र के लिए 178 करोड़ रुपए की राशि रखी गयी है, जिसमें 47.75 करोड़ रुपए इलेक्ट्रिकल रेसिसटेंस वेल्डेड पाइप प्लांट के उन्नयन हेतु, तथा 76.84 करोड़ रुपए कोक ओवन बैटरी सं. 1 के पुनर्निर्माण हेतु है। (4) बोकारो इस्पात संयंत्र हेतु 60 करोड़ रुपए के परिव्यय में से आधुनिकीकरण योजना हेतु (5.20 करोड़ रुपए) कोक ओवन बैटरी सं. 5 हेतु (13 करोड़ रुपए) तथा अन्य चालू, पूर्ण, तथा एएमआर स्कीमों हेतु रखे गये हैं, (5) एलॉय इस्पात संयंत्र हेतु तथा सलेम इस्पात संयंत्र हेतु 2 करोड़ रुपए। कच्चा माल प्रभाग हेतु 15 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था; और 11 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था विश्वेश्वरैय्या लौह एवं इस्पात संयंत्र, केन्द्रीय विपणन संगठन, लौह एवं इस्पात अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र, "सेल" के कार्पोरेट-कार्यालय, और महाराष्ट्र इलैक्ट्रोस्मैल्ट लिमि. (एम.ई.एल.) हेतु की गयी है। (6) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है। इसमें कोक ओवन बैटरी सं. 4 के लिए 110 करोड़ रुपए तथा कोल डस्ट

इंजेक्शन सिस्टम के लिए 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था और एएमआर स्कीमों के लिए 75 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है। परिव्यय की पूर्ति आन्तरिक तथा बजट बाह्य संसाधनों से की जाएगी। (7) एमएसटीसी लिमिटेड के लिए स्टाक यार्ड/भण्डारण सुविधाएं स्थापित करने के लिए 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। 11.50 करोड़ रुपए की व्यवस्था फैरोस्क्रेप निगम लि. के परिवर्धन/परिवर्तन/प्रतिस्थापन के लिए की गयी है। (8) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के लिए 321.90 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की गयी है। इसमें एनएमडीसी लौह एवं इस्पात संयंत्र हेतु 159.11 करोड़ रुपए, बैलाडिला निक्षेप 11बी के लिए 50 करोड़ रुपए, कुमारास्वामी चरण I और II के लिए 25 करोड़ रुपए शामिल हैं। (9) मैगनीज ओर इंडिया लि. के लिए 20 करोड़ रुपए मुहैया कराए गए हैं जो बालाघाट खान स्थित समेकित "बेनिफिकेशन योजना", गुमगांव खान में नए वर्टिकल शेफ्ट के खोदने, इलैक्ट्रोलाइट मैंगनीज डायोक्साइड संयंत्र (1200 टीपीए) के लिए हैं । (10) भारतीय लौह एवं इस्पात कम्पनी (इस्को) जो सैल की एक अनुषंगी कम्पनी है, के लिए 158 करोड़ रुपए मुहैया कराए गए हैं जो मुख्यतया पुनर्वास हेतु है, (11) बर्ड ग्रुप ऑफ कम्पनीज के लिए 16 करोड़ रुपए जिसमें एएमआर स्कीमों के लिए 1 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता वानिकी व्यय और अयस्क आधारित उद्योग शामिल है। (12) 54 करोड़ रुपए कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लि. की चालू योजनाओं के लिए है जैसे डक्टाइल आयरन स्पन पाइप परियोजना (संयुक्त उद्यम), रेलवे साइडिंग का विकास और मंगलोर में लौह अयस्क प्राप्त करने हेतु आधारभूत सुविधाओं का विकास इत्यादि (13) 60 करोड़ रुपए लोहे और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी मिशन के लिए।

अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगः खान मंत्रालय का परिव्यय 558.55 करोड़ रुपए है, जिसमें 313.55 करोड़ रुपए के आंतरिक और बजट बाह्य संसाधन शामिल हैं। अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग का परिव्यय 541.00 करोड़ रुपए है। कुल परिव्यय का अलग-अलग ब्यौरा निम्नलिखित हैः-

(क) एल्यूमीनियम (i) नेल्को के लिए - 310 करोड़ रुपए;
(ख) तांबा (हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड) के लिए - 40 करोड़ रुपए;
(ग) खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड - 12 करोड़ रुपए;
(घ) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण - 162 करोड़ रुपए;
(ङ) भारतीय खान ब्यूरो - 20 करोड़ रुपए;
(च) विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम - 8.55 करोड़ रुपए;
(छ) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण और भारतीय खान ब्यूरो के लिए निर्माण कार्यक्रम - 6 करोड़ रुपए।

उर्वरक उद्योगः इस हेतु 478.49 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है जिसमें से 362.32 करोड़ रुपए की पूर्ति आंतरिक तथा बजट बाह्य संसाधनों से की जाएगी शेष राशि बजटीय सहायता द्वारा प्रदान की जाएगी। फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (10.14 करोड़ रुपए), ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स लि. (67 करोड़ रुपए), मद्रास उर्वरक लिमिटेड (12.68 करोड़ रुपए),राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड (69 करोड़ रुपए), प्रोजेक्टस एंड डेवलेपमेंट इंडिया लिमिटेड (1.50 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (120.82 करोड़ रुपए), कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड (171 करोड़ रुपए), तथा अन्य योजनाओं (26.35 करोड़ रुपए) के लिए है।

रसायन और भेषज उद्योगः रसायन और भेषज उद्योग के लिए 49.13 करोड़ रुपए का परिव्यय है।

इंजीनियरी उद्योगः इस क्षेत्र के लिए कुल परिव्यय 439.61 करोड़ रुपए रखा गया है जिसमें से औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग को 10 करोड़ रुपए, भारी उद्योगों हेतु 298.47 करोड़ रुपए, जिसमें इंजीनियरिंग उद्योगों अर्थात् भेल, भारत यंत्र निगम लि., भारत भारी उद्योग निगम लि., भारी इंजीनियरिंग निगम लि., इन्स्ट्रूमेंटेशन लि., कोटा, स्कूटर इंडिया लि., एचएमटी, एंड्रू यूल एंड कम्पनी लि. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लि. आदि शामिल हैं, के लिए 241.60 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है, पोत परिवहन हेतु 113.14 करोड़ रुपए तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए 18 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है।

परमाणु उर्जा उद्योगः इस क्षेत्र हेतु 688.54 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। इसमें बजटीय सहायता के माध्यम से 541.80 करोड़ रुपए तथा आन्तरिक संसाधनों के माध्यम से 146.74 करोड़ रुपए शामिल हैं। बजटीय सहायता में गुरुजल संयंत्र, बड़ौदा में महत्वपूर्ण सुधार तथा गुरुजल बोर्ड के अन्य चालू गुरुजल संयंत्रों के सम्बन्ध में लघु सुधार करना शामिल है। इसके अलावा, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र और इन्दिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र की चालू तथा नई परियोजनाओं के लिए भी व्यवस्था की गयी है। इसके अलावा, बजटीय सहायता में चालू स्कीमों को पूर्ण करने तथा नाभिकीय ईंधन कॉम्पलेक्स द्वारा नयी दसवीं योजना स्कीमों पर कार्य प्रारंभ करना शामिल है। अन्य परियोजनाओं में विकास सम्बन्धी कार्यों तथा सर्वेक्षण, परमाणु खनिज निदेशालय द्वारा आरम्भ की गयी अन्वेषण और अनुसंधान की संभावनाओं और खोजों के लिए कार्य शामिल है। इस परिव्यय में विभिन्न अस्पतालों तथा उद्योगों में आपूर्ति हेतु रेडियो-आइसोटोप्स तथा नाभिकीय औषधियों के उत्पादन से सम्बन्धित बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप्स टेक्नोलॉजी द्वारा परियोजनाओं के निष्पादन के लिए भी व्यवस्था करना जिसमें साइक्लोट्रोन द्वारा उत्पादित रेडियो आइसोटोप्स और रेडियो फार्मास्यूटिकल्स भी शामिल है। बजटीय सहायता से, विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि., इंडियन रेयर अर्थ लि. तथा यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. को सहायता भी प्रदान की जाती है।

कृषि और ग्रामीण उद्योग : कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की मांग में 136 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का प्रावधान रखा गया है। यह अतिरिक्त राशि प्रधानमंत्री रोजगार योजना (36 करोड़ रुपए) तथा पारम्परिक उद्योगों जैसे नारियल-जटा, हथकरघा, विद्युत करघा, सिले सिलाए वस्त्र, रबड़, काजू, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, रेशम कीट पालन, ऊन विकास, चमड़ा, मिट्टी के बर्तन तथा अन्य कुटीर उद्योगों (100 करोड़ रुपए) के लिए है।

परिवहन

रेलवे : 2004-05 के लिए रेलवे का वार्षिक आयोजना परिव्यय 14498 करोड़ रुपए है (जिसमें श्रीनगर-बारामूला नई लाईन नामक राष्ट्रीय परियोजना के लिए 300 करोड़ रुपए शामिल हैं)। इस राशि में से, 6919 करोड़ रुपए की पूर्ति बजटीय सहायता से की जाएगी, जिसमें विशेष रेल सुरक्षा निधि के लिए 2075 करोड़ रुपए का अंशदान शामिल है। इस आयोजना में डीजल उपकर में से रेलवे सुरक्षा निधि के लिए 401 करोड़ रुपए, आंतरिक संसाधनों से 3728 करोड़ रुपए और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से 3450 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। इस परिव्यय के माध्यम से वर्ष 2004-05 के दौरान प्रस्तावित लक्ष्यों की पूर्ति में 4125 कि. मी. का ट्रैक नवीनीकरण, 375 रूट किमी. का विद्युतीकरण, 1000 रूट किमी. का गेज परिवर्तन, 273 किमी. की नई रेल लाइनें तथा अतिरिक्त 210 लोकोमोटिव का विनिर्माण करके की जाएगी।

सड़क परिवहन और राजमार्गः सड़क नेटवर्क का विकास तथा उचित रख-रखाव आर्थिक विकास की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा अंतरक्षेत्रीय अंतरों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। निम्नलिखित सारणी वर्ष 2004-05 के लिए केंद्रीय सड़क निधि से व्यय का प्रावधान दर्शाती है :-

(करोड़ रुपए)

मद	
- राज्यों को अनुदान	835.53
- राज्यों को अन्तर्राज्यीय और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के लिए अनुदान	92.00
- संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अनुदान	32.47
- संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तर्राज्यीय और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के लिए अनुदान	4.00
- एनएचएआई में निवेश	1848.00
- रेलवे	401.00
- ग्रामीण सड़कें	2148.00
- **जोड़**	**5361.00**

नौवहनः भारतीय नौवहन, पत्तन, अंतर्देशीय जल क्षेत्रक तथा पोत निर्माण उद्योग के विकास तथा विस्तार के लिए नौवहन मंगालय हेतु 2419.66 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इसमें भारतीय नौवहन निगम, सीएसएल, डीसीआई और प्रमुख पत्तनों के लिए 1944.66 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है जो आंतरिक और बजट बाह्य संसाधनों से प्राप्त होती है।

नागर विमाननः नागर विमानन क्षेत्र हेतु 1615.98 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है, जिसमें बजटीय सहायता 45 करोड़ रुपए है।

सड़क और पुलः इस क्षेत्रक के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों तथा सिक्किम हेतु प्रावधान को छोड़कर कुल परिव्यय 12699.30 करोड़ रुपए है ।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे सभी असम्बद्ध स्थानों को जिनकी जनसंख्या 500 व्यक्तियों से ज्यादा है, दसवीं योजना के अंत तक वर्ष भर अच्छी हालत में रहने वाली सड़कों के साथ जोड़ने के उद्देश्य

से दिसम्बर, 2000 में प्रारंभ किया गया था। पहाड़ी राज्यों (उत्तर-पूर्व, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तरांचल) तथा रेगिस्तानी इलाकों (जैसा कि रेगिस्तान विकास कार्यक्रम तथा जनजातीय (अनुसूची-v) क्षेत्रों में अभिज्ञात किया गया है) में इस योजना का उद्देश्य 250 और उससे अधिक की जनसंख्या वाली आबादियों को सड़कों से जोड़ना है। वर्ष 2004-05 के दौरान वर्तमान में निधियों के उपलबध साधनों का 50 प्रतिशत हिस्सा हाई स्पीड डीजल पर उपकर से प्राप्त होगा जिसकी 2148 करोड़ रुपए बजटीय व्यवस्था की गई है।

संचार

डाक सेवाएं: इसका परिव्यय 190.04 करोड़ रुपए का है। परियोजना क्रियाकलापों का मुख्य जोर प्रौद्योगिकी के सन्निवेशन पर है जिसमें से मुख्य परियोजना 140 करोड़ रुपए के परिव्यय से सभी प्रधान डाकघरों व महत्वपूर्ण लेखा व प्रशासनिक कार्यालयों का पूर्णतया कम्प्यूटरीकरण और नेटवर्किंग हैं। अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं में डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण (5 करोड़ रुपए), व्यवसाय विकास कार्यकलापों का संवर्धन (5.02 करोड़ रुपए), प्रशिक्षण (9.85 करोड़ रुपए), कार्यचालन और प्रशासनिक भवनों का निर्माण तथा विरासत भवनों का परिरक्षण (18 करोड़ रुपए) शामिल है। डाक सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए 100 अतिरिक्त विभागीय शाखा कार्यालय और 20 विभागीय उप-डाक घर खोलना प्रस्तावित है।

दूरसंचार सेवाएं तथा अन्य संचार सेवाएं: दूरसंचार विभाग के लिए परिव्यय 11660 करोड़ रुपए है जिसमें 175 करोड़ रुपए बजटीय सहायता तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों-इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज (120 करोड़ रुपए), महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (2557 करोड़ रुपए) और भारत संचार निगम लिमिटेड (8809 करोड़ रुपए) के आंतरिक और बजट बाह्य संसाधनों से 11485 करोड़ रुपए शामिल हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी: भारत में आईटी साफ्टवेयर और सेवा उद्योग 2002-2003 के दौरान स.घ.उ. का लगभग 2.4 प्रतिशत तथा निर्यात का 20.4 प्रतिशत रहा । ऐसी संभावना है कि 2008 तक भारतीय आईटी साफ्टवेयर और सेवा उद्योग भारत के स.घ.उ. का 7 प्रतिशत और भारत के कुल निर्यात का 35 प्रतिशत हिस्सा होंगे।

साफ्टवेयर और सेवा उद्योग वर्ष 2002-03 के दौरान पिछले पांच वर्षों में 43 प्रतिशत की सीएजीआर और 12.7 बिलियन अमरीकी डालर (59900 करोड़ रुपए) का कारोबार और 10 बिलियन अमरीकी डालर (47,500 करोड़ रुपए) का निर्यात कर भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से उभरने वाले क्षेत्रों में से एक है। सूचना प्रौद्योगिकी समर्थकारी क्षेत्रों में पिछले दो वर्षों के दौरान विस्फोटक अभिवृद्धि दिखाई दी है। इसके परिणामस्वरूप, सूचना प्रौद्योगिकी समर्थकारी सेवा निर्यात 2008 तक 21-24 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंचने की संभावना है। कुल आयोजना आंवटन 889.27 करोड़ रुपए है जिसमें से 139.27 करोड़ रुपए आंतरिक और बजट बाह्य संसाधनों से है।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण

परमाणु ऊर्जा अनुसंधान: अनुसंधान तथा विकास क्षेत्र के लिए आयोजना परिव्यय 703.58 करोड़ रूपए है, जो प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास को जारी रखने और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, परिवर्ती ऊर्जा, साइक्लोट्रॉन केंद्र, परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय, प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, टाटा स्मारक केंद्र, साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान, भौतिकी संस्थान, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, हरीशचन्द्र अनुसंधान संस्थान, गणित विज्ञान संस्थान और नाभिकीय विज्ञान क्षेत्र में अनुसंधान करने, राष्ट्रीय कार्यक्रम संचालित करने तथा विभिन्न अनुसंधान व विकास इकाइयों तथा विभाग की सहायता प्राप्त संस्थाओं को आवास व आधारभूत ढांचे की सुविधाएं देने के लिए नाभिकीय विज्ञान अनुसंधान बोर्ड, राष्ट्रीय उच्च गणित बोर्ड आदि जैसी अन्य संस्थाओं की दसवीं योजना के तहत नई योजनाओं के परिशीलन के लिए है।

अंतरिक्ष अनुसंधान: अंतरिक्ष विभाग के लिए वार्षिक आयोजना परिव्यय 2400 करोड़ रूपए है, जिसमें निम्नलिखित के लिए प्रावधान शामिल हैं:-

(i) अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिये 1538.81 करोड़ रुपए जिसमें यह शामिल है (क) प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के लिए 1017.96 करोड़ रुपए जिसमें शामिल हैं; भू-सहवर्ती सैटेलाइट प्रक्षेपण यान (जीएसएलवी) परियोजना के लिए 36.78 करोड़ रुपए, जीएसएलवी एमके-III विकास के लिए 490 करोड़ रुपए, क्रायोजेनिक अपर स्टेज (सीयूएस) परियोजना के लिए 10.92 करोड़ रुपए, पोलर सैटेलाइट प्रेक्षपण यान (पीएसएलवी-सी) जारी रखने की परियोजना के लिए 122.50 करोड़ रुपए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र (वीएसएससी) के लिए 112.27 करोड़ रुपए, इसरो इनर्शियल सिस्टम्स यूनिट (आईआईएसयू) के लिए 13.96 करोड़ रुपए, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटर (एलपीएससी) के लिए 60.63 करोड़ रुपए, जीएसएलवी प्रचालनात्मक परियोजना के लिए 150 करोड़ रुपए तथा अंतरिक्ष कैप्सूल रिकवरी प्रयोग के लिए 20.90 करोड़ रुपए शामिल हैं; (ख) सैटेलाइट प्रौद्योगिकी के लिए 415.60 करोड़ रुपए जिसमें शामिल है भारतीय दूरस्थ सवेदी सैटेलाइट परियोजनाओं के लिए 68.50 करोड़ रुपए, जी सैट परियोनजाओं के लिए 90 करोड़ रुपए, इसरो सैटेलाइट केन्द्र (आईएसएसी) के लिए 120.97 करोड़ रुपए, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम (एलईओएस) प्रयोगशाला के लिए 11.13 करोड़ रुपए तथा राडार इमेजिंग सैटेलाइट-1 (रिसैट-1) के लिए 125 करोड़ रुपए शामिल है, और (ग) प्रक्षेपण समर्थन, ट्रैकिंग नेटवर्क तथा रेंज सुविधाओं के लिए 105.25 करोड़ रुपए; जिसमें सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र(एसडीएससी)-शार के लिए 64.12 करोड़ रुपए, द्वितीय प्रक्षेपण पैड तथा सामान्य सुविधाओं के लिए 8.40 करोड़ रुपए, इसरो टेलीमेट्री टैकिंग और कमान्ड नेटवर्क (आईएसटीआईआरएसी) के लिए 31.42 करोड रुपए तथा राडार विकास कक्ष के लिए 1.31 करोड़ रुपए शामिल हैं।

(ii) अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिये किया गया प्रावधान 234.10 करोड़ रुपए है, जिसमें 117.48 करोड़ रुपए अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (एस.ए.सी.) के लिए, 31.12 करोड़ रुपए विकास एवं शैक्षिक संचार यूनिट (डी.ई.सी.यू.) के लिये, 45.36 करोड़ रुपए राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंध प्रणाली (एन.एन.आर.एम.एस.) के लिये, 6.67 करोड़ रुपए क्षेत्रीय दूरस्थ संवेदी सेवा केन्द्रों (आर.आर.एस.एस.सी.) एवं अनुप्रयोग मिशन के लिए 6.71 करोड़ रुपए, 6.46 करोड़ रुपए राष्ट्रीय दूरस्थ संवेदी एजेंसी (एस.आर.एस.ए.) के लिये, 15.30 करोड़ रुपए आपदा प्रबंध प्रणाली (डी.एम.एस.) के लिये और 5.00 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (एस.ई.एस.ए.सी.) के लिये शामिल हैं।

(iii) अंतरिक्ष विज्ञानों के लिये 167.37 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें 25.50 करोड़ रुपए भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पी.आर.एल.) के लिये, 4 करोड़ रुपए राष्ट्रीय एम.एस.टी. राडार सुविधा (एस.एम.आर.एफ.) के लिये, 12 करोड़ रुपए "रिस्पांड के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थाओं में प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं के लिये, 5.42 करोड़ रुपए सेंसर पेलोड विकास के लिये 5.08 करोड़ रुपए मेघा ट्रापिक्स परियोजना के लिये, 30 करोड़ रुपए एसट्रोसैट मिशन, 70 करोड़ रुपए भारतीय चन्द्र मिशन-चन्द्रायण-1 और 12.46 करोड़ रुपए इसरो भू-परिमंडल-जैव परिमंडल कार्यक्रम के लिए तथा 2.91 करोड़ रुपए अन्य योजनाओं जैसे अंतरिक्ष विज्ञान संवर्धन गुब्बारा सुविधा, बहुअभिकरण निधिप्राप्त परियोजनाओं और सूक्ष्म गुरूत्व अनुसंधान अनुप्रयोग रिकवरी माडयूल्स आदि के लिये शामिल हैं।

(iv) इंसैट आपरेशनल के अंतर्गत 430.05 करोड़ रुपए के प्रावधान में 28.05 करोड़ रुपए मास्टर नियंत्रण सुविधा (एम.सी.एफ.), 92 करोड़ रुपए इंसैट-3 सैटेलाइट परियोजना (प्रक्षेपण सेवाओं और ट्रांसपौण्डर्स पट्टेदारी सहित), 310 करोड़ रुपए प्रक्षेपण, सेवा सहित इंसेट-4 सैटेलाइट परियोजना के लिये शामिल हैं।

(v) 29.67 करोड़ रुपए का प्रावधान विशेष स्वदेशीकरण/उन्नत आर्डरिंग अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं केन्द्रीय प्रबंधन के लिये किया गया है।

समुद्र विज्ञान अनुसंधान: इसका परिव्यय 200 करोड़ रूपए है। इसमें अंटार्कटिका/ ध्रुवीय अनुसंधान के लिए 24 करोड़ रूपए प्रदान किए गए हैं, जिसमें अंटार्टिका में भारतीय प्रयास जारी रखने और देश में अनुसंधान सुविधाओं की स्थापना पर होने वाला व्यय शामिल है। बहुधात्विक नोड्यूल के क्षेत्र में अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास के लिए 22 करोड़ रूपए की राशि रखी गई है। समुद्र अवलोकन, विज्ञान और सूचना कार्यक्रम के लिए भी 26 करोड़ रूपए प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान को उसके कार्यकलापों के लिए 25 करोड़ रूपए और विभाग की समुद्र से औषधि, तटीय अनुसंधान पोत, तटीय समुद्र अनुवीक्षण और पूर्वानुमान प्रणाली, अनुसंधान परियोजनाओं के लिए सहायता; महाद्वीपीय शेल्फ समुद्री जीव संसाधनों एवं मात्सियकी एवं समुद्र वैज्ञानिक अनुसंधान जलयान, बेनफैन, गहन समुद्री खनिज अन्वेषण, एकीकृत तटीय एवं समुद्री क्षेत्र प्रबंध, जनशक्ति प्रशिक्षण, प्रदर्शन, सेमिनार और संगोष्ठी के लिए सहायता, सूचना प्रौद्योगिकी एवं कम्प्यूटर (4.27 करोड़ रुपए) आदि जैसे विभाग के अन्य चालू कार्यकलापों के लिए 33.75 करोड़ रूपए प्रदान किए गए हैं।

संपूर्ण भारतीय ईईजेड का व्यापक स्वैथ वैथी मीट्रिक सर्वेक्षण, गैस हाइड्रेट अन्वेषण और प्रौद्योगिकी विकास, नए पोतों के अधिग्रहण और लक्ष्मी बेसिन मे भू-भौतिक अध्ययन के लिए 69.25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी : विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की आयोजना स्कीमों हेतु परिव्यय 900 करोड़ रूपए है, जोकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार अग्र और उभरने वाले क्षेत्रों में बुनियादी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान और विकास के संवर्धन के लिए है। ये क्षेत्र भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और इंजीनियरी से संबद्ध हैं। मिशन रूप मे पृथ्वी और वायुमंडलीय विज्ञान, इंस्ट्रूमेंटेशन विकास और प्रौद्योगिकी परियोजनाएं भी शामिल हैं। उद्यमकारिता सहित सामाजिक-आर्थिक विकास के कार्यक्रमों पर विधिवत बल दिया जा रहा है। नए और अन्तरविषयक क्षेत्रों में बड़ी संख्या में अनुसंधान और विकास कार्यकलापों को सहायता दी जाती है।

अन्य वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधानः 650 करोड़ रुपए विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के लिए है। यह प्रौद्योगिकी संवर्धन,विभाग के विकास एवं उपयोग कार्यक्रमों और दो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को इसकी सहायता के लिए है। यह परिव्यय सीएसआईआर को सहायता अनुदान देने के लिए भी है, जिसका उद्देश्य वैश्विक प्रतियोगितात्मक स्तर पर सक्षमता को सतत् निर्माण तथा पुनर्सज्जित करने हेतु कार्यकलापों को करना है। कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिनकी सहायता की जाएगी उनमें छोटे सिविलियन विमान का डिजाइन तैयार करना, विकास एवं विनिर्माण; नये यौगिकों और जैव-रूपातंरण प्रक्रिया के लिए भारत की जीवाणु संपदा का अन्वेषण एवं उपयोग, औषध लक्ष्यों का विकास करने के लिए चयनित पैथोजन का आण्विक जैव विज्ञान; दमा और एलर्जी रोग कम करना; भूमंडलीय बिक्री के लिए नयी वैज्ञानिक हर्बल दवाईयां तैयार करना,फोटोनिक और इलैक्ट्रानिक के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का विकास, एमईएमएस एवं संवेदियों के लिए क्षमताओं तथा सुविधाओं का विकास आदि हैं। प्रौद्योगिकी लाभ पर आधारित कुछ नये चुनिन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भूमंडलीय नेतृत्व प्राप्त करने के लिए "न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नालाजी लीडरशिप इनीसिएटिव(एनएमआईटीएलआई) की स्कीम को भी यह सहायता प्रदान करेगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास और बौद्धिक संपदा तथा प्रौद्योगिकी प्रबंधन एवं अनुसंधान एवं विकास प्रबंधन समर्थन के लिए भी यह सहायता प्रदान करेगा।

जैव-प्रौद्योगिकीः वर्ष 2004-2005 में जैव-प्रौद्योगिकी विभाग के लिए परिव्यय 310 करोड़ रूपए है जो स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, पशु विज्ञान, जलचर पालन, पर्यावरण और जैव-विविधता, जैव-संसाधन और जैव-संभाव्यता के क्षेत्रों में जैव-प्रौद्योगिकी में मूल अनुसंधान, उत्पाद और प्रक्रिया विकास पर लक्षित कार्यक्रमों के लिए हैं।

पर्यटनः 450 करोड़ रुपए का परिव्यय इन स्कीमों के लिए है जैसे कि पर्यटक सर्किटों का एकीकृत विकास, आईएचएमएस/एफसीआईएस/आईआईटीटीएम/एनआईडब्ल्यूएस/एनआईएएस/एनसीएचएमसीटी को सहायता, सेवा प्रदायकों के लिए क्षमता निर्माण, बाजार विकास सहायता सहित विदेशों में संवर्धन एवं प्रचार, आतिथ्य सत्कार सहित घरेलू संवर्धन एवं प्रचार, आवास आधारभूत ढ़ांचें के लिए प्रोत्साहन, जम्मू और कश्मीर में पर्यटन का पुनरुद्धार आदि।

विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धनः इसका परिव्यय 723.74 करोड़ रुपए है जिसमें आधार संरचना विकास (425 करोड़ रुपए), समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (52 करोड़ रुपए), कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (53 करोड़ रुपए), निर्यात ऋण गारंटी निगम (100 करोड़ रुपए), बाजार सुलभता उपाय-निर्यात अध्ययन (102.24 करोड़ रुपए) एवं अन्य (28.00 करोड़ रुपए) के लिए प्रावधान शामिल है।

अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएंः सड़कों, विमान पत्तनों एवं समुद्री पत्तनों के अधीन विभिन्न आधार संरचना परियोजनाओं को विकसित करने के लिए बजटीय सहायता बढ़ाकर एक नई निधिपोषण प्रणाली स्थापित करने हेतु कुल 7564.20 करोड़ रुपए के आबंटन में से 1500 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 500 करोड़ रुपए की राशि रेलवे के लिए प्रदान की जा रही है। "संभाव्य अंतराल निधिपोषण" सुनिश्चित करना और सरकारी-निजी-साझेदारी व्यवस्था के तहत आधारढांचा निधियों की सहायता करना इसका मुख्य उद्देश्य होगा। सहायता के लिए जिन परियोजनाओं को चुना गया है उनमें राष्ट्रीय रेलवे विकास योजना के अधीन स्वर्ण चतुर्भुज का उन्नयन, सुरक्षा उन्नयन, रेलवे के अन्तर्गत बड़े पुलों एवं पत्तनों की संयोजकता, परिव्रजन आधार संरचना उन्नयन और दिल्ली तथा मुंबई के विमान पत्तनों का विश्वस्तरीय विमान पत्तनों में विकास, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की सड़कों के अलावा सड़क और पुल परियोजनाएं, नावा-शेवा एवं कोचीन पत्तनों का तल कर्षण एवं आधुनिकीकरण और दो बड़े सम्मेलन केन्द्रों का निर्माण शामिल है।

केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की नई/पुनर्गठित स्कीमों के लिए 6000 करोड़ रुपए का एक मुश्त प्रावधान है। ये नई/पुनर्गठित स्कीमें राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति करेंगी। इसके अन्तर्गत कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, मध्यान्ह भोजन स्कीमें, बुनियादी स्वास्थ्य देखरेख, रेलवे सुरक्षा, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, पेयजल, कृषि और सड़कों आदि में सरकारी निवेश को भी शामिल किया जाएगा।

सामाजिक सेवाएं

सामान्य शिक्षाः दसवीं योजना के दौरान, मानव संसाधन विकास को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

उच्चतर शिक्षाः माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के लिए परिव्यय 2225 करोड़ रुपए है। माध्यमिक शिक्षा और शारीरिक शिक्षा के लिए परिव्यय 693 करोड़ रुपए है जिसमें नवोदय विद्यालयों के लिए 392 करोड़ रुपए, विद्यालयों में आईसीटी (जिसमें कम्प्यूटर शिक्षा प्रौद्योगिकी शामिल है) के लिए 97 करोड़ रुपए, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के लिए 85 करोड़ रुपए अपंग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा हेतु 39 करोड़ रुपए, सुलभता और साम्यता (लड़कियों के लिए छात्रावास की सुविधाओ को सुदढ़ बनाने हेतु गैर-सरकारी संगठनों को सहायता) के लिए 30 करोड़ रुपए, विद्यालयों में गुणवत्ता सुधार (जिसमें विद्यालयों में पर्यावरण संबंधी शिक्षा देना, योग संवर्धन और विज्ञान प्रयोगशालाओं का संवर्धन शामिल है) के लिए 20 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा क्षेत्र के लिए 640 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। इसमें 541.75 करोड़ रुपए की राशि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए है। हिन्दी को लोकप्रिय बनाने सहित भाषाओं के विकास और अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए 121.29 करोड़ रुपए का परिव्यय है।

प्राथमिक शिक्षा : प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता के लिए 2004-2005 में 6000 करोड़ रूपए का कुल आयोजना आवंटन किया गया है। महत्वपूर्ण आयोजना स्कीमों में शिक्षक शिक्षण (207 करोड़ रुपए), जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (600 करोड़ रुपए), प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषाहार समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (1675 करोड़ रुपए) और सर्वशिक्षा अभियान (3057.08 करोड़ रुपए) तथा प्रौढ़ शिक्षा (250 करोड़ रुपए) की पुनर्संरचना और पुनर्गठन शामिल हैं।

अध्यापक शिक्षा की पुनर्संरचना और पुनर्गठन : राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) और कार्रवाई कार्यक्रम (पीओए) 1986 में जैसी संकल्पना की गई है उसके अनुसार अध्यापक शिक्षा की पुनर्संरचना और पुनर्गठन की केंद्र प्रायोजित स्कीम का प्रारंभ 1987 में व्यवहार्य संस्थात्मक अवसंरचना, उन्मुखीकरण के लिए शैक्षणिक और तकनीकी संसाधन आधार, प्रशिक्षण और ज्ञान का अनवरत उन्नयन, देश में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की दक्षता और शैक्षणिक कुशलता सृजित करना था। इस स्कीम के पांच संघटक हैं :-

(i) सभी जिलों में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करना;
(ii) अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों का सुदृढ़ीकरण और उनमें से कुछ का शिक्षा के उच्च अध्ययन संस्थानों के रूप में विकास करना;
(iii) राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों का सुदृढ़ीकरण
(iv) विद्यालय अध्यापकों के लिए विशेष अभिमुखी कार्यक्रम और अध्यापक प्रशिक्षण में दूरस्थ शिक्षा पद्धति शुरु करना; और
(v) विश्वविद्यालयों में शिक्षा संकायों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमः इस कार्यक्रम में आयोजना और प्रबन्धन में सहभागिता प्रक्रियाओं पर अधिक बल दिया गया है, जिसमें छात्राओं की शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित किया गया है और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जिनका उद्देश्य विद्यालयों में भर्ती बढ़ाना और छात्रों की निरन्तरता बनाए रखना, पढ़ाई छोड़ कर जाने वाले छात्रों की संख्या घटाना और ज्ञानार्जन में वृद्धि करना है, प्राथमिक शिक्षा में फिर से नई जान फूंकने का प्रयास किया गया है। इसका उद्देश्य सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण करना भी है और इसमें ऐसी नीतियों को विकसित करने का प्रयास किया गया जो अनुकरणीय और सतत आधार पर चलने वाली हों। कार्यक्रम में इस समय 18 राज्यों में 273 जिलों को शामिल किया गया है।

प्राथमिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पौषणिक सहायता कार्यक्रम (एनपी-एनएसपीई): प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषणिक सहायता कार्यक्रम जिसे आम तौर पर मध्यान्ह भोजन योजना के नाम से जाना जाता है, 15 अगस्त, 1995 को शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को बढ़ावा देना था और इसके साथ ही सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय के विद्यालयों में प्राथमिक कक्षाओं (1 से 5) के विद्यार्थियों के पोषण में अभिवृद्धि करना है। इस कार्यक्रम में ईजीएस और अन्य वैकल्पिक आयोजना केन्द्रों में पढ़ रहे बच्चों को भी शामिल किया गया है। इन योजनाओं को दी जा रही केन्द्रीय सहायता इस प्रकार हैः- (क) उन विद्यालयों में जिनमें भोजन कार्यक्रम लागू है, 100 ग्राम खाद्यान्न प्रति बच्चा प्रति स्कूल दिवस, दूसरी और दस माह के लिए 3 कि. ग्रा. प्रति बच्चा प्रति माह और (ख) स्वीकार्य परिवहन प्रभार। इस समय 28 राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र 10.56 करोड़ बच्चों के लक्ष्य की तुलना में लगभग 5.74 करोड़ बच्चों को पका हुआ भोजन/ खाने के लिए तैयार भोजन उपलब्ध करा रहे हैं जो लक्ष्य का लगभग 54.3 प्रतिशत है।

सर्व शिक्षा अभियान : सर्व शिक्षा अभियान योजना 11 लाख निवास स्थानों में 192 मिलियन बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने और मिशन के रूप में जो कि संपूर्ण देश को कवर करता है, में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए अक्तूबर, 1998 में हुए राज्य शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में की गयी सिफारिशों पर शुरू की गयी। मौजूदा 8.5 लाख प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों और मौजूदा 33 लाख अध्यापकों को इस योजना के तहत शामिल किया जायेगा, जो लड़कियों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा विषम परिस्थिति वाले अन्य बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं पर केन्द्रित है। इस योजना में ऐसे निवास स्थानों जहाँ पर शिक्षण सुविधाएं न हों, पर नये विद्यालय शुरू करने, अतिरिक्त कक्षाओं, प्रसाधन कक्षों, पीने का पानी, अनुरक्षण अनुदान और विद्यालय सुधार अनुदान, अपर्याप्त अध्यापकों वाले मौजूदा विद्यालयों के लिए अतिरिक्त अध्यापकों की सुविधा प्रदान करना, गहन अध्यापक प्रशिक्षण, विकासशील शिक्षण-पठन सामग्री और अकादमी सहयोग संरचना के लिए अनुदान प्रावधान के जरिए मौजूदा विद्यालय आधारढांचे को मजबूत बनाना आदि शुरू करने की व्यवस्था है। यह कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में भी संख्या के अंतर को मिटाने के लिए मुफ्त पाठ्य पुस्तकें और कम्प्यूटर शिक्षा भी प्रदान करेगा।

दसवीं योजना के दौरान सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के तहत सहायता का 75:25 और बाद में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच 50:50 के आधार पर बंटवारा किया जाएगा। वर्ष 2004-05 के दौरान सर्वशिक्षा अभियान तीसरे वर्ष में प्रवेश करेगा। वर्ष 2003-04 के दौरान 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 596 जिलों की वार्षिक योजनाएं अनुमोदित की गयीं और 3,98,189 अध्यापकों के पदों को मंजूरी दी गयी।

शिक्षा एक मौलिक अधिकार के रूप में: 6 से 14 साल की आयु वाले बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाने का संविधान (86वां संशोधन) अधिनियम, 2002 को वर्ष 2002-03 में अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम 13.12.2002 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार के कार्यान्वयन की प्रक्रिया और इस का ब्यौरा उपलब्ध कराने के लिए संविधान संशोधन के पश्चात् केन्द्रीय कानून बनाया जाना है। इस संबंध में एक विधि निर्माण मसौदा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। महत्वपूर्ण आयोजना स्कीमों में, सर्वशिक्षा अभियान, प्राथमिक शिक्षा को पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम और पुनर्संरचना, अध्यापक शिक्षा का पुनर्संगठन शामिल है।

तकनीकी शिक्षा: तकनीकी शिक्षा के लिए 747 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसमें 200 करोड़ रुपए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, 100 करोड़ रुपए तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम, 80 करोड़ रुपए क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेजों, 60 करोड़ रुपए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, 50 करोड़ रुपए आईटी में एचआरडी के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (सॉफ्टवेयर जनशक्ति विकास), 50 करोड़ रुपए शिक्षा के व्यावसायीकरण, 30 करोड़ रुपए भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर, 29.23 करोड़ रुपए सामुदायिक पालिटेक्नीक्स, 25 करोड़ रुपए अनुसंधान एवं विकास, 16.50 करोड़ रुपए प्रशिक्षु प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षु प्रशिक्षण बॉर्ड की योजना, 15 करोड़ रुपए भारतीय प्रबंधन संस्थान के लिए हैं।

खेल एवं युवा सेवाएं: युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के लिए 359.50 करोड़ रुपए का आयोजना परिव्यय रखा गया है। युवा मामले के क्षेत्र में प्रावधान मुख्यतः नेहरु युवा केन्द्र संगठन, राष्ट्रीय सेवा स्कीम के लिए है। खेल के संबंध में, उच्च आवंटन खेल आधार ढांचा हेतु प्रमुख खेल योजनाएं, खेल के सिंथेटिक मैदान, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों तथा भारतीय खेल प्राधिकरण को डोंप टेस्ट और आधार ढांचा सहायता के लिए किया गया है। वर्ष 2004-2005 के दौरान राज्य खेल अकादमी, किशोर विकास, राष्ट्रीय और राज्य युवा केन्द्र जैसी नयी योजनाएं शुरु की जाएंगी।

कला और संस्कृति: 358.60 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है जिसके अंतर्गत क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों, संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी, राष्ट्रीय नाटक विद्यालय, एसियाटिक सोसाइटी, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा, सांस्कृतिक संसाधन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, नाट्य, नृत्य तथा थिएटर समूह को सहायता, राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार, राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्, विज्ञान नगरों, नेहरु स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, भारतीय संग्रहालय, सलारजंग संग्रहालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, राष्ट्रीय पुस्तकालय, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय फाउंडेशन तथा अन्य स्कीमों और कार्यक्रमों आदि के लिए प्रावधान रखा गया है।

चिकित्सा और जन स्वास्थ्य: 1779.90 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है जिसमें 601.30 करोड़ रुपए का विदेशी सहायता संघटक शामिल है। परिव्यय का एक बड़ा हिस्सा संक्रामक और अन्य बीमारियों के नियंत्रण संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए निर्धारित किया गया है। इन योजनाओं को राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। स्वास्थ्य पक्ष में, परिव्यय में मुख्य आबंटन राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (232 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय वेक्टर बोर्न रोग नियंत्रण कार्यक्रम जिसमें मलेरिया, काला-अजार, जापानी मस्तिष्क ज्वर फिलेरिया तथा डेंगू शामिल है (269 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम (55 करोड़ रुपए), कैंसर अनुसंधान तथा नियंत्रण कार्यक्रम जिसमें तम्बाकू मुक्ति संबंधी उपाय शामिल हैं। (60 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय रोहा और अंधता नियंत्रण कार्यक्रम सहित अंधता निवारण (88 करोड़ रुपए), टी बी नियंत्रण कार्यक्रम (125 करोड़ रुपए), संक्रामक रोग नियंत्रण (40.70 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय आईडीडी नियंत्रण कार्यक्रम तथा मानसिक स्वास्थ्य (41 करोड़ रुपए), अस्पताल तथा औषधालय (142 करोड़ रुपए) चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान (466.90 करोड़ रुपए) और एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (30 करोड़ रुपए) के लिए रखे गए हैं। वर्ष के दौरान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे 6 अस्पताल सह शिक्षण केन्द्रों की स्थापना और राज्य सरकार के अस्पतालों का उन्नयन के लिए 60 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत रखा गया है। इसके अलावा भुज अस्पताल गुजरात के लिए 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के विकास के लिए उपर्युक्त विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 180 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

परिवार कल्याण : परिवार कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य जनसंख्या की वृद्धि दर कम करना और प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य स्तर में भी सुधार लाना है। यह कार्यक्रम शत-प्रतिशत केन्द्र द्वारा प्रायोजित आयोजना स्कीम के रुप में जारी है और वर्ष 2004-2005 के लिए 4950 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

जल आपूर्ति एवं सफाई : इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की गति बढ़ाकर देश में सभी ग्रामीण आबादियों के लिये पेयजल के प्रावधान की दिशा में राज्य सरकारों की सहायता के लिये सरकार वचनबद्ध है। इसीलिये सरकार गत वर्षों में ग्रामीण जलापूर्ति के लिये वार्षिक केन्द्रीय परिव्यय उत्तरोत्तर बढ़ाती जा रही है। क्षेत्रक सुधार कार्यक्रम को अब पंचायती राज संस्थाओं की निकट भागीदारी के साथ स्वजल धारा कार्यक्रम के रूप में जिला स्तर से नीचे विस्तारित किया गया है तथा यह कार्यक्रम प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 25 दिसम्बर, 2002 को शुरू किया गया था। मार्च 2004 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों को पेयजल प्रदान करने के लिए स्वजल धारा एक विशेष प्रयास है। स्वजल धारा स्कीम की खास विशेषता यह है कि इसे समुदाय द्वारा क्रियान्वित,अनुरक्षित व धारित किया जाएगा। इन परियोजनाओं में समुदाय की भागीदारी प्रमुख घटक हैं जो आने वाले समय के लिए योजना,कार्यान्वयन, प्रचालन और रख-रखाव सुनिश्चित करे। समुदाय 10 प्रतिशत योगदान करता है और 90 प्रतिशत निधियां भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाती हैं। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 15 अगस्त, 2002 को की गई घोषणा के अनुसार वर्ष 2004-2005 के लिए ग्रामीण जलापूर्ति क्षेत्र के लिए 2610 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जिसमें से 350 करोड़ रुपए ग्रामीण क्षेत्रों में 1 लाख हैंडपम्प लगाने,1 लाख जल के पारंपरिक स्रोतों के पुनरुद्धार और ग्रामीण क्षेत्रों में 1 लाख विद्यालयों में पीने के पानी की व्यवस्था करना है। सरकार ग्रामीण जनता के लिए स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को निरंतर सहायता देने को सर्वाधिक महत्व देती आ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के लिए दिनांक 1.4.1999 से केंद्रीय

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को पुनर्संचित किया गया है। अब इसे एक परियोजना के रूप में चलाया जा रहा है और इसे जिले की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। वर्ष 2004-2005 के लिए केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

आवास

ग्रामीण आवास : ग्रामीण आवास के लिये परिव्यय 2500 करोड़ रु. है जिसमें 253 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए रखे गए हैं।

इंदिरा आवास योजना का उद्देश्य प्राथमिक तौर पर आवासीय यूनिटों के निर्माण में सहायता करना और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों, मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों तथा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले गैर-अनुसूचित जाति/जनजाति के ग्रामीण गरीबों के विद्यमान अनुपयोगी कच्चे मकानों के लिए सहायता अनुदान देकर उन्हें सुधारना है। वर्ष 1995-96 से इंदिरा आवास योजना का लाभ युद्ध के दौरान मारे गए रक्षा कार्मिकों की विधवाओं को या उनके निकट संबंधी को भी प्रदान किया गया है, भले ही उनकी आय कुछ भी हो और वे ये शर्तें पूरी करते हों (i) वे ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हों; (ii) वह आवास-पुनर्वास की किसी अन्य स्कीम के अंतर्गत न आते हों; और (iii) वे बेघर हों या आवास उन्नयन के लिये आवास की आवश्यकता रखते हों। इस योजना के अंतर्गत, न्यूनतम 60 प्रतिशत निधियां अ.जा./अ.ज.जा. परिवारों की सहायता के लिए अलग से रखी गई हैं। इन निधियों का 3 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले विकलांगों के हितों के लिए आरक्षित किया गया है। मैदानी इलाके में प्रत्येक मकान के लिए सहायता की सीमा 20,000/- रुपए और पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों के लिए 22000/- रुपए निर्धारित की गयी है। वर्ष 1999-2000 से प्रति यूनिट 10,000/- रुपए की दर से अनुपयुक्त कच्चे मकानों को सुधारने की योजना भी आरम्भ की गयी है। तथापि, इंदिरा आवास योजना गृह की इकाई लागत को मैदानी क्षेत्र में 20,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए तथा पहाड़ी क्षेत्र के लिए 22,000 रुपए से बढ़ाकर 27,500 रुपए करने का निर्णय लिया गया है। अनुपयुक्त कच्चे मकानों को सुधारने के लिए प्रति यूनिट लागत को दिनांक 1.4.2004 से 10,000 रुपये से बढ़ाकर 12,500 रुपये कर दिया गया है। इंदिरा आवास योजना की 20 प्रतिशत राशि इस शीर्ष के अन्तर्गत आबंटित की जाती है। इन निधियों की भागीदारी केंद्र और राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात में की जाती है। ऋण-एवं-आर्थिक सहायता योजना के अधीन 32,000/- रुपए तक की वार्षिक आय वाले ग्रामीण परिवारों को आवास निर्माण हेतु निधियां प्रदान की जाती है। पहले ये सरकार की इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत शामिल नहीं होते थे लेकिन इस प्रकार की पहल ने उन्हें अपने मकान होने की हकदारी प्रदान की है। पात्र परिवार को 10,000/- रुपए तक की सब्सिडी और 40,000 रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। ग्रामीण परिवार के ऋण की उपलब्धता को सुधारने के लिए 'हुडको' को इक्विटी पूंजी की सहायता भी मुहैया करायी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों, सामग्री और डिजाइन आदि को संवर्धित करने और उन्हें प्रचलित करने के लिए ग्रामीण आवासन और आवास विकास की नवीन श्रृंखला नामक एक योजना भी 1.4.1999 से प्रचालन में है। इसके अलावा देश में ग्रामीण भवनों की स्थापना की एक स्कीम शुरू की गई है जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, प्रशिक्षण एवं किफायती भवन सामग्रियों के उत्पादन के द्वारा कार्यकौशल बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय ग्रामीण आवास मिशन की भी स्थापना की गई है ताकि इस क्षेत्रक में निरंतर आधार पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सामग्रियां शुरू की जा सकें और प्रौद्योगिकी, आवास एवं ऊर्जा संबंधी मुद्दों में सामंजस्य बिठाया जा सके जिससे एक विनिर्दिष्ट समय सीमा के अंदर तथा सामुदायिक माध्यस्थता से ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को सुलभ आवास प्रदान किये जा सकें।

शहरी विकासः इस क्षेत्रक के लिये 1928.72 करोड़ रुपये का परिव्यय है जिसमें लघु और मझोले कस्बों के एकीकृत विकास के लिए 200 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के लिये 55 करोड़ रु., बड़ी शहरी स्कीमों के लिये 220 करोड़ रु. शामिल हैं। इसमें शहरी परिवहन अर्थात् दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन के लिये 480 करोड़ रु. का प्रावधान भी शामिल है।

सूचना, प्रचार तथा प्रसारणः सूचना एवं प्रसारण क्षेत्रक के लिये 856.02 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है जिसमें 475 करोड़ रु. की आई.ई.बी.आर. की धनराशि भी शामिल है। सूचना एवं फिल्म क्षेत्रक में मीडिया यूनिटों के लिये प्रदत्त 59.90 करोड़ रु. के आबंटन में प्रेस सूचना ब्यूरो, भारतीय जन संचार संस्थान, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, प्रकाशन प्रभाग, क्षेत्र प्रचार निदेशालय, गीत एवं नाटक प्रभाग, फोटो प्रभाग, पंजीकार-भारतीय समाचार पत्र, सूचना भवन, केन्द्रीय मानिटरिंग सेवाओं एवं मानव संसाधन विकासार्थ प्रशिक्षण के लिये आबंटन शामिल है। फिल्म प्रभागों, राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अभिलेखागार, भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे, फिल्म महोत्सव निदेशालय, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड,, भारत एवं विदेशों में फिल्म बाजार में भाग लेने के लिये भी आबंटन किये गए हैं। प्रसारण क्षेत्रक के लिये आबंटन 798.47 करोड़ रु. का है जिसमें 475.00 करोड़ रु. की बजटीय सहायता भी शामिल है।

पूर्वोत्तर क्षेत्रः विद्युत, सिंचाई,सड़कों और संचार क्षेत्रकों की स्कीमों एवं परियोजनाओं सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में ऐसी विकासात्मक स्कीमों एवं परियोजनाओं की योजना, निष्पादन तथा मानिटरिंग से संबंधित मामलों की देखभाल पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय करता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के लिये 1185 करोड़ रुपए (राज्य आयोजना सहित) का परिव्यय रखा गया है जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए केन्द्रीय पूल संसाधनों से 650 करोड़ रुपए अनुदान तथा ऋण के रूप में तथा पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमों के लिये 500 करोड़ रुपए तथा मंत्रालय की चार केन्द्रीय आयोजना स्कीमों के लिए 35 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। सभी मंत्रालयों/विभागों (कुछ को छोड़कर जिन्हें छूट दी गई है) से अपेक्षा है कि वे पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के विकास के कार्यक्रमों/स्कीमों के लिये अपने केन्द्रीय योजना बजट का कम से कम 10% भाग निर्धारित करें ।

कल्याण

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याणः सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की स्कीमों/कार्यक्रमों के लिये 1492 करोड़ रूपए का आबंटन किया गया है। इस आबंटन में अनुसूचित जाति संघटक योजना (402 करोड़ रुपए), मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति (313.24 करोड़ रूपए), सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अत्याचार निरोधक अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन (34.75 करोड़ रूपए), राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम (49 करोड़ रुपए), दीन दयाल अपंग पुनर्वास योजना (80 करोड़ रुपये) विकलांगों के लिए सहायता एवं उपकरण (60 करोड़ रुपये) नशाबंदी एवं दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम (26.09 करोड़ रुपये) पिछड़ी जाति के लड़कों और लड़कियों के लिये हॉस्टल (12.76 करोड़ रूपए) के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता हेतु प्रावधान आदि शामिल हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के लिए पिछले वर्ष के 17.16 करोड़ रुपए के प्रावधान की तुलना में 71.29 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। निवल वृद्धि 54.13 करोड़ रुपए की है।

जनजातीय कार्य : 319 करोड़ रूपए के आवंटन में मैट्रिक-पश्च छात्रवृत्ति, बुक बैंक और अ.ज.जा. विद्यार्थियों की योग्यता के संवर्धन (65.49 करोड़ रूपए), प्रशिक्षण और संबद्ध स्कीमों सहित अ.ज.जा. के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान तथा शानदार सेवाओं के लिए इनाम (32 करोड़ रूपए), गांव अनाज बैंकों की स्थापना (32.50 करोड़ रुपए), जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना (14 करोड़ रूपए),लघु वन उत्पाद हेतु राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम को सहायता अनुदान (18 करोड़ रुपए) शामिल हैं।

श्रम और रोजगार : श्रम मंत्रालय के लिये परिव्यय 162.30 करोड़ रुपए है। इसमें रोजगार व श्रमिक प्रशिक्षण पर तथा कार्य करने की स्थितियां सुधारने व बाल/महिला श्रमिक की सुरक्षा पर बल दिया गया है। केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड, वी.वी.गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, बंधुआ मजदूरों का पुर्नवास, अजा/अ.ज.जा. तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण और पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम की कल्याण स्कीमों के लिए प्रावधान भी किया गया है। सरकार ने दसवीं योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की योजना को जारी रखने तथा विस्तार हेतु अनुमोदन किया था। सरकार ने योजना अवधि के लिए चुने गये अतिरिक्त 50 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं खोलने के लिए अनुमोदन दिया है। दसवीं योजना में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के लिए 602 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया है जिसमें से 89 करोड़ रुपए का प्रावधान वर्ष 2004-05 के लिये किया गया है।

सामान्य सेवाएं

न्याय प्रशासनः परिवार न्यायालय की स्थापना सहित न्याय पालिका के लिए अवसरंचनात्मक सुविधाओं के विकास हेतु मुख्यरूप से केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के लिए 129.50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्यों से आशा की जाती है कि वे केन्द्र द्वारा किए गए अंशदान के समतुल्य प्रति संतुलन हिस्से का प्रावधान करें। उपर्युक्त आवंटन में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता के चार प्रमुख महानगर शहरों में उच्च न्यायालयों, शहरी दीवानी न्यायालयों के कम्प्युटरीकरण के लिए प्रावधान भी शामिल है।